

56/2025

अशोक उपाधी वरतलाल

हुसैन या कार्यवाही पर इनिशियल जल

संख्या: 14/11/25  
14/11/25 को प्राप्त  
हुसैन की कार्यवाही  
के संबंध में

पत्रावली पेश हुई) वादी आधि. उपा. जरीबंदी सं.  
1 लगा. 3 की ओर से वकालतनामा एवं प्रस्ताव पेश  
नहीं. जरीबंदी सं. 4 की ओर से प्रस्ताव पेश नहीं,  
न्यायाधीश में अवाजर दिनांक वाकर पत्रावली वाकर  
जरीबंदी सं. 1 लगा. 3 की ओर से वकालतनामा/प्रस्ताव  
एवं जरीबंदी सं. 4 के प्रस्ताव हेतु दिनांक 14/11/25 को  
पेश हो।

14/11/25

पत्रावली पेश हुई। आज स्थानीय बार  
सोसियेशन का कार्य स्थगन किया  
जा है। पीठासीन अधिकारी अन्य राजकीय  
कार्य में व्यस्त है। पत्रावली आधिकारिक आदेश  
दिनांक 11/10/25 को पेश हो।

11/10/25

14/11/25

पत्रावली पेश हुई। वादी आधि. उपा. जरीबंदी  
सं. 1 लगा. 3 की ओर से वकालतनामा पेश नहीं। जरीबंदी  
सं. 1 लगा. 3 अनुपस्थित) जरीबंदी सं. 1 लगा. 3 की ओर  
से दिनांक 19/11/25 की अपरटेकिंग प्रस्तुत की गई थी।  
जरीबंदी सं. 1 लगा. 3 की प्रथम अवाजर दिनांक जाने के  
बावजूद भी वकालतनामा पेश नहीं। जरीबंदी सं. 1 लगा.  
3 को निम्नानुसार तीन बार आवजें लगाई गई, कोई  
इफालित नहीं आया। जरीबंदी सं. 1 लगा. 3 के विरुद्ध  
प्रकृषीत कार्यवाही अमल में आई वाली है। जरीबंदी सं.  
4 का प्रस्ताव पेश नहीं। पत्रावली वादि जरीबंदी सं. 4  
के प्रस्ताव हेतु दिनांक 14/11/25 को पेश हो।

14/11/25

14/11/25 पत्रावली पेश हुई) वादी-आधि. उपा. (वादी अनुपस्थित)  
को कार्य सरकार उपा. वादी एवं वादी आधि. उपा. की  
निम्नानुसार तीन बार आवजें लगाई गई, परंतु  
कोई इफालित नहीं आया। वादी एवं वादी आधि. उपा.


— अवाजर —

14/11/25  
सहायक क्लर्क  
मीलवाड़ा

दिनांक

4/11/25

की न्यायाधीश में पुनः एक बार भावात लगाई गई  
 परन्तु कोई उपस्थित नहीं आया। ~~बड़ी~~ बड़ी एवं बड़ी  
 भावितव्य के उपस्थित नहीं आते में बड़ी गरा  
 उत्तर वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान  
 कायदाकारी आदिनि पत्र की मदम (वरी) मदम  
 पैरवी में जारी किया जाया है। निष्पत्ति से  
 इजलास सुनाया गया। प्रभावली कौशल शुमार  
 होकर दायित्व प्रकृत ले आ नम्बर में कम है।

  
 14/11/25  
 सहायक कलक्टर  
 भीलवाड़ा